सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5/6/17

पत्रावली आज न्याय आदेश हेतु पेश न्यायालय में पेश हुई। वादी अनावेदक का एक वाद निर्णित हो चुका है। वाद निर्णित होने से यह प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना